हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.07.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संख्या 2023/191 अनवान लेखा बनाम तहसीलदार, सिवाना को अधिवक्ता अपीलांट पर 500/– की कोस्ट पर उक्त प्रकरण को पुनः बरामद किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट स्वयं उपस्थित। पत्रावली में अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी तहसीलदार सिवाना द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया, जिस पर बताया गया कि एलोटी के उतराधिकार का कोई कब्जा नहीं है, एलोटी स्वयं फौत हो चुका है एवं लगान बकाया है और इस आवेदन पत्र को दर्ज कर प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल नहीं होने से, मौके पर कब्जा नहीं व लगान अदा नहीं करने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कल्क्टर द्वारा दिनांक 03.07.1980 को प्रार्थी के पिता को आवंटन भूमि खसरा नंबर 471/565 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन खारीज किया गया। प्रार्थी को उक्त आवेदन संबंधित सुनवाई हेतु कभी भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जैसाकि नोटिस में भी वार्ड पंच मोहनलाल द्वारा तस्दीक में लिखा गया कि लेखा पुत्र मौका जाति घांची निवासी करमावास बाढ़ आने कारण मकान गिरने से दुसरे गांव में परिवार के साथ रहते है।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रार्थी के पिता फौत होने पर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। उस समय प्रार्थी नाबालिग था, इस कारण वह अपने भले बुरे के बारे में नहीं समझता था। काश्त के समय वह अपने खेत पर काश्त लगातार करता रहा। प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है। उसके पिता को एलोट हुआ खेत जो उसके नाम था वह एलोटमेंट खारिज कर दिया है, इसके बारे में प्रार्थी को जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को दिनांक 08.10.2021 को सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी हुई। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए एक पक्षीय फैसला दिनांक 03.07.1980 को खारीज करते हुए प्रार्थी को अपनी ओर से तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश आवेदन पत्र 14(4) पर पुनः सुनवाई करते हुए समुचित पक्ष रखने के आदेश प्रदान करावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी, बहस उपरांत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश आवेदन पत्र 14(4) पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रार्थी के पिता को आवंटन भूमि खसरा नंबर 471/565 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 03.07.1980 को खारिज किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विधिक तामिल का का अभाव पाया गया एवं बगैर नोटिस तामिल एवं सुनवाई के पत्रावली निर्णित की गई। चूंकि प्रकरण 1980 में निर्णित किया जा चुका है एवं उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 41 साल की देरे से पेश किया गया, जो कि असामान्य विलम्ब है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के तहत पुनः सुनवाई किये जाने से उचित होगा कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय में उक्त आलोच्य आदेश की अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त करे। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को खारिज किया जाता है। पत्रावली उपरांत फैसल नंबर से कम हो।

जिला कलक्टर
बालोतरा